RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number (CIN) : U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: VidyutBhawan, Jyoti Nagar, Jaipur -302005
(AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED COMPANY)

RVPN-F&R No.: 1408

No.: RVPN/AAO/F&R/F.1(V)/D. 27 JAIPUR, Dated: 24/05/2021

परिपत्र

आदेश संख्या RVPN/ADMO/AS/CC/F&R/D. 205 दिनांक 01.12.2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राराविप्रनिलि. द्वारा, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/पं.1 (4) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 02.12.2020 (संलग्न) को निम्नानुसार (Mutatis Mutandis) स्वीकृत (adopt) किया जाता है :–

निगम में कार्यरत सहायक अभियंता के समकक्ष एवं इस से ऊपर के अधिकारियों के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा कर्मचारी सेवा नियम, 1964 में परिभाषित किसी भी प्रकार के 2 माह से अधिक अवधि के अवकाश पर जाने की स्थिति में अधिकारीगण द्वारा अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी उपस्थिति सचिव (प्रशासन), राराविप्रनिलि., को प्रस्तुत करेंगे। अवकाशकालीन अधिकारियों द्वारा धारित पद को रिक्त मानते हुए उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित सहायक अभियंता के समकक्ष एवं इस से ऊपर के अधिकारियों को कर्मचारियों सेवा नियम, 1964 में परिभाषित किसी भी प्रकार के अवकाश, जो 2 माह से अधिक अवधि के हो, यदि उनके द्वारा स्वीकृत किए जाते है तो ऐसे अधिकारी के स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति सचिव (प्रशासन), राराविप्रनिलि., को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि वे अवकाश समाप्ति पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में सचिव (प्रशासन), राराविप्रनिलि. को प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से

(सौरभ भट्ट)
मुख्य लेखाधिकारी (पी.एण्ड.एफ.)

Copy to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.

2. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
3. The Chief Engineer (PP&D/IT/Procurement/MPT&S/NPP&RA/LD/Contracts/Civil), RVPN, Jaipur.
4. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
5. The Additional Chief Engineer (Civil), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The, Chief Personnel Officer RVPN, Jaipur.
7. The Joint Director Corporate Affairs (cum Company Secretary), RVPN, Jaipur.
8. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
9. The Chief Accounts Officer (A/Cs & W&M/P&C/PP&D/P&F-Cont./EA-Cash), RVPN, Jaipur.
10. The RCAO, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur Zone, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
11. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur.
12. The Joint Director Personnel, RVPN, Jaipur.
13. The Superintending Engineer ( ), RVPN, Jaipur.
14. The Incharge, Data Centre, RVPN, Chambal GSS, Hawa Sarak, Jaipur.
15. The Dy. Controller of Accounts (P&F), RVPN, Jaipur.
16. The Sr. Accounts Officer ( ), RVPN, Jaipur.
17. The Accounts Officer ( ), RVPN, Jaipur.
18. The PRO, RVPN, Jaipur.
19. PS to CMD, RVPN, Jaipur.
20. PS to Director (Finance/Technical/Operations), RVPN, Jaipur.
21. Office Order/Master File.

(Pawan Kumar Nishad)
Assistant Accounts Officer (F&R)

Note: Orders are also available on the Nigam's website www.energy.rajasthan.gov.in/ rvpn

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक :– प. 1(4) वित्त/नियम/2008 जयपुर, दिनांक : 02 DEC 2020

परिपत्र

राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारीगण के लम्बी अवधि के अवकाश पर जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा धारित पद की कार्य व्यवस्था सुचारू नही रहने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही कई पदों की प्रकृति प्रशासनिक/वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उन्हें लम्बी अवधि तक रिक्त रखा जाना उचित नही होता है।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों के सम्बंध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उनके द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के 2 माह से अधिक अवधि के अवकाश पर जाने की स्थिति में अधिकारीगण द्वारा अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी उपस्थिति अपने प्रशासनिक विभाग में प्रस्तुत करेंगे। अवकाशकालीन अधिकारियों द्वारा धारित पद को रिक्त मानते हुए उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन पदस्थापित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के अवकाश, जो 2 माह से अधिक अवधि के हो, यदि उनके द्वारा स्वीकृत किए जाते है तो ऐसे अधिकारी के स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि वे अवकाश समाप्ति पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा मे अपने प्रशासनिक विभाग में प्रस्तुत करेंगे।

(डा. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मंत्री / राज्यमंत्री / संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

02/12/2020

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त (नियम)

(आरएसआर 49 / 2020)